



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]
No. 304]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2007/आषाढ़ 13, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2007/ASADHA 13, 1929

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2007

सा.का.नि. 465(अ).—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय मसौदा नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22 मार्च, 2007 के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय सा.का.नि. 219(अ), दिनांक 22 मार्च, 2007 की अधिसूचना में उनसे प्रभावित होने वाले संभावित किसी भी व्यक्ति से भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति तक आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 22 मार्च, 2007 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं।

और जबकि इनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (प्रथम संशोधन) नियम, 2007 कहे जाएंगे।
2. ये 1 अगस्त, 2007 से प्रभावी होंगे।

3. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में :-
नियम 52 में 'पचास रुपए' शब्दों के स्थान पर 'सत्तर रुपए' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं. एस-38025/10/2007-सा.सु.-1]

गुरजोत कौर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 212, दिनांक 22-6-1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तदुपरान्त निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित किए गए :-

1. सा.का.नि. 80, दिनांक 9-1-1960
2. सा.का.नि. 1200, दिनांक 27-9-1960
3. सा.का.नि. 594, दिनांक 29-3-1963
4. सा.का.नि. 240, दिनांक 6-2-1964
5. सा.का.नि. 1834, दिनांक 18-12-1964
6. सा.का.नि. 474, दिनांक 19-3-1965
7. सा.का.नि. 1082, दिनांक 29-6-1966
8. सा.का.नि. 545, दिनांक 14-4-1967
9. सा.का.नि. 500, दिनांक 6-3-1968
10. सा.का.नि. 677, दिनांक 29-3-1968
11. सा.का.नि. 1106, दिनांक 22-5-1968
12. सा.का.नि. 2113, दिनांक 28-11-1968
13. सा.का.नि. 306, दिनांक 7-3-1974
14. सा.का.नि. 1122, दिनांक 1-10-1974

15. सा.का.नि. 56, दिनांक 23-12-1976
16. सा.का.नि. 60, दिनांक 5-1-1982
17. सा.का.नि. 129, दिनांक 9-2-1987
18. सा.का.नि. 199, दिनांक 6-3-1990
19. सा.का.नि. 76, दिनांक 22-1-1991
20. सा.का.नि. 368, दिनांक 27-3-1992
21. सा.का.नि. 522, दिनांक 16-11-1996
22. सा.का.नि. 582(अ), दिनांक 23-12-1996
23. सा.का.नि. 225, दिनांक 21-4-1997
24. सा.का.नि. 226, दिनांक 22-4-1997
25. सा.का.नि. 185, दिनांक 1-9-1998
26. सा.का.नि. 129, दिनांक 29-3-2000
27. सा.का.नि. 210, दिनांक 27-3-2001
28. सा.का.नि. 28, दिनांक 2-1-2004
29. सा.का.नि. 172(अ), दिनांक 4-3-2004
30. सा.का.नि. 316, दिनांक 18-9-2004
31. सा.का.नि. 322(अ), दिनांक 17-5-2005
32. सा.का.नि. 591(अ), दिनांक 22-9-2006

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2007

G.S.R. 465(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published as required under Sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. G.S.R. 219(E), dated the 22nd March, 2007 in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 22nd March, 2007 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 22nd March, 2007.

And whereas, objections and suggestions received from persons likely to be affected thereby have been considered by the Government.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees, State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:—

1. These Rules may be called the Employees'

State Insurance (Central) (1st amendment) Rules, 2007.

2. They shall come into force with effect from 1st August, 2007.

3. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950:—

In Rule-52, the words "rupees fifty" shall be substituted by the words "rupees seventy".

[No. S-38025/10/2007 (SS-I)]

GURJOT KAUR, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide Government of India, Ministry of Labour Notification No. S.R.O. 212, dated 22-6-1950 and subsequently amended by the following notifications:—

1. G.S.R. 80, dated 9-1-1960
2. G.S.R. 1200, dated 27-9-1960
3. G.S.R. 594, dated 29-3-1963
4. G.S.R. 240, dated 6-2-1964
5. G.S.R. 1834, dated 18-12-1964
6. G.S.R. 474, dated 19-3-1965
7. G.S.R. 1082, dated 29-6-1966
8. G.S.R. 545, dated 14-4-1967
9. G.S.R. 500, dated 6-3-1968
10. G.S.R. 677, dated 29-3-1968
11. G.S.R. 1106, dated 22-5-1968
12. G.S.R. 2113, dated 28-11-1968
13. G.S.R. 306, dated 7-3-1974
14. G.S.R. 1122, dated 1-10-1974
15. G.S.R. 56, dated 23-12-1976
16. G.S.R. 60, dated 5-1-1982
17. G.S.R. 129, dated 9-2-1987
18. G.S.R. 199, dated 6-3-1990
19. G.S.R. 76, dated 22-1-1991
20. G.S.R. 368, dated 27-3-1992
21. G.S.R. 522, dated 16-11-1996
22. G.S.R. 582(E), dated 23-12-1996
23. G.S.R. 225, dated 21-4-1997
24. G.S.R. 226, dated 22-4-1997
25. G.S.R. 185, dated 1-9-1998
26. G.S.R. 129, dated 29-3-2000
27. G.S.R. 210, dated 27-3-2001
28. G.S.R. 28, dated 2-1-2004
29. G.S.R. 172(E), dated 4-3-2004
30. G.S.R. 316, dated 18-9-2004
31. G.S.R. 322(E), dated 17-5-2005
32. G.S.R. 591(E), dated 22-9-2006